

2026:एएचसी-एलकेओ:19308

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 238 वर्ष 2026**

अंगद प्रसाद शुक्ला

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मुख्य सचिव गृह विभाग लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कौशल किशोर तिवारी, शक्ति

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -27**माननीय न्यायमूर्ति श्री राम मनोहर नारायण मिश्र**

1. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397/401 सपठित धारा 438/442 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत, माननीय विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-354/2016 (राज्य बनाम प्रदीप उर्फ पप्पू व अन्य) में दिनांक 10-02-2026 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस आदेश के द्वारा, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा गवाह को समन करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था।

2. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पुनरीक्षणकर्ता/सूचनादाता इस मामले में एक घायल व्यक्ति है। उसने दिनांक 15.10.2022 को डॉ. शिवांगी गर्ग से अपना सीटी स्कैन और एक्स-रे करवाया था। डॉ. सूर्यांग चौरसिया (अभियोजन साक्षी-10) ने दिनांक 16.10.2022 को न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने बयान में कहा है कि घायल व्यक्ति की चोटें गंभीर प्रकृति की हैं, और उन्होंने डॉ. शिवांगी गर्ग द्वारा तैयार किए गए चिकित्सा अभिलेखों को सत्यापित किया है। पुनरीक्षणकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें डॉ. शिवांगी गर्ग को इस मामले में गवाह के रूप में समन करने का अनुरोध किया गया था, ताकि सूचनादाता/घायल व्यक्ति की सीटी स्कैन और एक्स-रे रिपोर्ट को प्रमाणित किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने इस आवेदन को अत्यंत सरसरी तौर पर यह टिप्पणी करते हुए निरस्त कर दिया कि, इससे पूर्व इसी आवेदक/सूचनादाता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 239 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अंतर्गत आरोप जोड़ने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे पहले ही निरस्त किया जा चुका है। डॉ. शिवांगी गर्ग द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों को पहले ही द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया जा चुका है; अतः, डॉ. शिवांगी गर्ग की प्रत्यक्ष परीक्षा न होने से भी मामले के गुण-दोष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूचनादाता ने यह मुद्दा अंतिम बहस के चरण में उठाया है। निचली न्यायालय ने प्रार्थना निरस्त कर दी है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज करने के लिए एक तारीख तय की है।

4. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 को सरसरी तौर पर देखने से यह स्पष्ट है कि कोई भी न्यायालय, इस संहिता के तहत किसी भी जांच, वाद या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी व्यक्ति को गवाह के तौर पर बुला सकती है, या वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है (भले ही उसे गवाह के तौर पर न बुलाया गया हो), या पहले से पूछताछ किए जा चुके किसी भी व्यक्ति को दोबारा बुलाकर उससे फिर से पूछताछ कर सकती है; और अदालत ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाएगी और उससे पूछताछ करेगी (या उसे दोबारा बुलाकर उससे फिर से पूछताछ करेगी) यदि उसे लगता है कि उस व्यक्ति की गवाही मामले के सही निर्णय के लिए आवश्यक है।

5. निर्देशक तत्व यह है कि क्या संबंधित गवाह को बुलाना मामले के सही निर्णय के लिए ज़रूरी है। द्वितीयक साक्ष्य वहां स्वीकार्य होता है, जहां अभिलेखों के लेखक (रचयिता) गवाह को शारीरिक रूप से पेश करना संभव न हो। आक्षेपित आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उक्त गवाह, डॉ. शिवांगी गर्ग, का उपस्थित होना किसी विशेष परिस्थिति के कारण संभव नहीं है।

6. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि डॉ. शिवांगी गर्ग लखनऊ में कार्यरत हैं और उन्हें अदालत के सामने सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि उक्त गवाह ही अपने द्वारा तैयार किए गए चिकित्सकीय अभिलेखों को प्राथमिक साक्ष्य के तौर पर प्रमाणित कर सकती हैं।

7. इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉ. शिवांगी गर्ग की गवाही मामले के सही निर्णय के लिए आवश्यक है और उन्हें अपने द्वारा तैयार किए गए अभिलेखों के संबंध में गवाह के कटघरे में प्रस्तुत किया जा सकता है।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी है कि उक्त चिकित्सकीय अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए, मामले के सही निर्णय हेतु गवाह का होना आवश्यक है।

9. उपरोक्त के दृष्टिगत, इस पुनरीक्षण याचिका को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि परीक्षण अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। इसलिए, मैं यह पाता हूँ कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में एक विधिक त्रुटि हुई है और वह आदेश धारणीय नहीं है। आक्षेपित आदेश को अपास्त किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जाता है और विद्वान परीक्षण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह डॉ. शिवांगी गर्ग को गवाह के रूप में तलब करे, ताकि प्राथमिक साक्ष्य के माध्यम से चिकित्सकीय अभिलेख सिद्ध किए जा सकें।

10. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुनरीक्षणकर्ता/सूचनादाता और लोक अभियोजक, डॉ. शिवांगी गर्ग के वर्तमान पदस्थापन स्थल का पता लगाने में न्यायालय की सहायता करेंगे, ताकि उन्हें शीघ्रता से तलब किया जा सके।

11. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायाधीश श्री राम मनोहर नारायण मिश्रा)

17 मार्च, 2026

डीके/